# न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 33 / 2022

श्री किशन सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह उर्फ भंवरू, जाति रावत, निवासी ग्राम शिवपुरा (धुवाड़िया), तहसील पीसांगन, जिला अजमेर।

.....*अपीलान्ट*

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार पीसांगन

.....**रेस्पोन्डेन्ट**

**अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956**

———

**उपस्थित :–**

1. श्री एन0 एस0 राजावत, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश गुर्जर, सरकारी वकील

## –: आदेश :–

**दिनांक–04.06.2025**

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि संवत् 2078 में श्री किशन सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह उर्फ भंवरू जाति रावत, निवासी ग्राम शिवपुरा (धुवाड़िया), तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ने ग्राम शिवपुरा के सिवायचक आराजी खसरा संख्या 1480 कुल रकबा 5.43 हैक्टर किस्म बीड़ (चरागाह) में से रकबा 0.32, खसरा संख्या 1483 रकबा 0.07 हैक्टर किस्म बा0 2 (सिवायचक) व खसरा संख्या 1484 रकबा 0.35 हैक्टर किस्म बा0 2 (सिवायचक) भूमि पर अनाधिकृत रूप से मकान, बाड़ा निर्माण कर व बाड़ लगाकर एवं गेहूं की फसल काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार पीसांगन के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 16 / 2022 पंजीकृत किया जाकर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 16.03.2022 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार विवादित भूमि से अतिक्रमी की बेदखली व शास्ति कायम की गई। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय (नायब तहसीलदार पीसांगन) के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 16.03.2022 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट के नाम नोटिस जारी किये गये। रेस्पोन्डेन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

पैरोकार सरकार द्वारा मियाद के बिंदु पर एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने के कारण न्यायहित में मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के पश्चात हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद

करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विवादित आराजी पर अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट तहसीलदार पीसांगन के समक्ष प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय (नायब तहसीलदार पीसांगन) द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर आगामी पेशी दिनांक 10.03.2022 के नोटिस जारी किये गये जो कि अपीलान्ट को किसी भी प्रकार से तामील नहीं हुए एवं दिनांक 10.03.2022 को अपीलान्ट की उपस्थिति दर्ज कर अतिक्रमण करना स्वीकार किया जाना उल्लेखित कर भू–अभिलेख निरीक्षक को जांच हेतु आगामी पेशी दिनांक 16.03.2022 नियत की गई। उक्त दिनांक को अपीलान्ट को नोटिस बिना विधिवत तामील हुए अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपीय आदेश पारित कर दिया। उनका कथन है कि आक्षेपीय आदेश पारित किये जाने से पूर्व आदेश 05 नियम 15 से 20 जाब्ता दीवानी में उल्लेखित विधिक प्रावधानों के तहत किसी भी प्रकार से प्रकरण के नोटिस अपीलान्ट को तामील नहीं करवाये गये एवं गैर कानूनी रूप से उपस्थिति दर्ज कर प्रथम दृष्टया विधिक त्रुटि कारित कर आक्षेपीय आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को किसी भी प्रकार से जवाब, सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया जो कि प्राकृतिक व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों तथा आर0आर0डी0 1994 पेज 215 व 505 एवं आर0आर0टी0 2007 (01) पेज 125 से 127 पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में निरस्त योग्य है। उन्होने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित किये जाने से पूर्व आदेश 18 नियम 01 जाब्ता दीवानी में उल्लेखित प्रावधानों के तहत पटवारी हल्का के किसी भी प्रकार से साक्ष्य लिपिबद्ध नहीं कर सीधे ही आदेश 20 सीपीसी के तहत निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि कारित की है। भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 15.03.2022 में स्पष्ट रूप से वर्किंग खसरा संख्या 2130 व 2131 अपीलान्ट की पारिवारिक खातेदारी व कब्जे काश्त की पैतृक भूमियां होकर वर्किंग खसरा संख्या 2131 मिन से वर्तमान खसरा संख्या 1481, 1482 व 1483 कायम होने का उल्लेख करते हुए वर्तमान खसरा संख्या 1483 रकबा 0.07 हैक्टर पर मकान व बोरिंग विद्यमान होकर सिवायचक दर्ज किया जाना उल्लेखित किया है। इस प्रकार वर्तमान खसरा संख्या 1483 रकबा 0.07 हैक्टर अन्य आराजी के साथ अपीलान्ट की पैतृक खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। अपीलान्ट विवादित आराजी पर अपने पूर्वजों के समय से अर्थात सन् 1990 से आज दिवस तक बिना किसी व्यवधान व दखल के काबिज काश्त होकर आवासीय परिसर में मय परिवार के निवास करता चला आ रहा है जिसमें विद्युत कनेक्शन भी स्थापित व संचालित चला आ रहा है। अपीलान्ट के विरूद्ध सम्पादित की गई कार्यवाही 12 वर्षों पश्चात होने से परिसीमा अधिनियम में उल्लेखित विधिक प्रावधानों के विपरीत व कालवर्जित होने से निरस्त योग्य है। अपने उक्त कथनों के समर्थन में उन्होने हमारा ध्यान डी0एन0जे0 1995 पेज 208 पर माननीय उच्चतम न्यायालय एवं डी0एन0जे0 2002(3) पेज 1134 पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांतों की ओर आकर्षित किया।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि अपीलान्ट राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र सन् 1992 व 2000 एवं इसके पश्चात विभिन्न समय पर अवधि विस्तार करते हुए जारी परिपत्रों एवं परिपत्र क्रमांक 06(06)/राजस्व–06/97/पार्ट/131 जयपुर दिनांक 16.11.2021 के तहत अन्य भूमियों को कीमतन नियमन करवाते हुए

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जाने का अधिकारी भी रहा है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी विधिक तथ्य, आधार व परिपत्रों का विवेचन व विश्लेषण किये बिना आधार रहित व कारण रहित आदेश पारित किया गया है जो निर्णय की परिभाषा में नहीं है। अन्त में उन्होने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश निरस्त किया जाकर अपीलान्ट की खातेदारी आराजी के अतिरिक्त शेष भूमि पर कब्जा काश्त होने से उक्त परिपत्रों के परिपेक्ष्य में नियमन किये जाने के आदेश पारित किये जावें।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में पैरोकार सरकार का कथन है कि अपीलान्ट द्वारा सिवायचक व चरागाह भूमि पर अवैध रूप से मकान व बाड़ा बनाकर तथा बाड़ लगाकर व फसल काश्त कर अतिक्रमण किया गया है जो पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व नजरी नक्शा से स्पष्ट है। अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि उन्हें सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर देकर मौके की जांच करवाने के पश्चात् विवादित भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है जो न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजियात पर अनाधिकृत रूप से मकान, बाड़ा निर्माण कर व बाड़ लगाकर तथा गेहूं की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया गया है। विवादित आराजियात राजस्व रेकार्ड में चरागाह व सिवायचक भूमियों के रूप में दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत चरागाह भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि में आती है, जिसका नियमन नहीं किया जा सकता। अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर देकर अतिक्रमण पाये जाने पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट विरूद्ध की गई कार्यवाही न्यायोचित प्रतीत होती है एवं प्रश्नगत आराजी पर अपीलान्ट का अवैध अतिक्रमण होना सिद्ध होता है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। हम उक्त आदेश में किसी प्रकार से हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन एवं भारहीन होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज, दिनांक 04.06.2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

(ज्योति ककवानी)
अपर कलक्टर
अपर कलक्टर अजमेर
अजमेर